संख्या-207/2026/आई0/1447393/2026-5-6099/308/2026-6-

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2026-27 में प्रदेश के 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन तथा 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डिजिटल एक्स-रे मशीन (ड्राई व्यू प्रिंटर के साथ) उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-10फ/सी0एच0सी0/कैम्प-05/2022/36[illegible], दिनांक 30.07.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2026-27 में निम्नलिखित विवरणानुसार प्रदेश के 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन तथा 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डिजिटल एक्स-रे मशीन (ड्राई व्यू प्रिंटर के साथ) उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल धनराशि रूपये 4,70,98,992/- (रूपये चार करोड सत्तर लाख अट्ठानवे हजार नौ सौ बानये मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची जहाँ अल्ट्रासाउण्ड मशीनों की स्थापना करायी जानी है।						
No. of OPD and IPD Conducted (as per FY 2025-2026 HMIS data) as on 07-07-2026						
SN	District	Block	Facility Name	Facility Code	Total OPD's Conducted	Total IPD's Conducted
1	Aligarh	Gangiri	CHC Chharra	FC409	162886	23672
2	Fatehpur	Khajuha	CHC Bindki	FC696	160148	22131
3	Hamirpur	Maudaha	CHC Maudaha	FC769	155574	20050
4	Jhansi	Mauranipur	CHC Mauranipur	FC841	147925	15693
5	Banda	Naraini	CHC Atrra	FC541	129191	12811
6	Sitapur	Biswan	CHC Biswan	FC1176	123436	12253
7	Gorakhpur	Campierganj	CHC Campierganj	FC753	115259	10695
8	Bareilly	Baheri	CHC Baheri	FC562	113517	9906
9	Jhansi	Babina	CHC Babina	FC834	112719	9786
10	Siddharth Nagar	Itwa	CHC Etwa	FC1165	111206	9704
11	Sambhal	Gunnaur	CHC Gunnaur	FC1123	111117	9530
12	Banda	Baberu	CHC Baberu	FC535	110356	9282
13	Bhadohi	Aurai	CHC Aurai	FC592	109304	8679
14	Fatehpur	Hathgaon	CHC Hathgam	FC695	96333	8469
15	Bahraich	Mihinpurwa	CHC Motipur Mihinpurwa	FC503	95083	7467
16	Ballia	Rasra	CHC Rasra	FC522	91969	7457
17	Badaun	Ambiapur	CHC Bilsi	FC609	90390	6489
18	Maharajganj	Nichlaul	CHC Nichlaul	FC942	87926	6430
19	Hamirpur	Rath	CHC Rath	FC773	85202	6378
20	Jalaun	Maheva	CHC Kalpi	FC810	84345	6283
21	Lakhimpur Kheri	Dhaurehra	CHC Dhaurhra	FC905	83750	6137
22	Prayagraj	Koraon	CHC Koraon	FC1066	82878	5895
23	Banda	Naraini	CHC Naraini	FC542	81709	5527
24	Siddharth Nagar	Uska Bazar	CHC Uska Bazar	FC1173	79842	5427
25	Bahraich	Payagpur	CHC Payagpur Kot Bazar	FC505	79296	5301
26	Hardoi	Sandila	CHC Sandila	FC794	78283	5215
27	Farrukhabad	Rajepur	CHC Rajepur	FC686	73571	5188
28	Prayagraj	Manda	CHC Manda	FC1067	72606	4918
29	Balrampur	Pachperwa	CHC Pachpedwa	FC530	71210	4229
30	Chandauli	Naugarh	CHC Naugarh	FC639	54820	2568
31	Meerut	Kharkhauda	CHC Kharkhauda	FC982	59595	3671
32	Meerut	Rajpura	CHC Bhawanpur	FC987	43956	2286

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची, जहां पर डिजिटल एक्स-रे मशीन (ड्राई व्यू प्रिंटर के साथ) की स्थापना करायी जानी है		
क्र0सं0	**जनपद का नाम**	**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	आजमगढ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अहिरौला
2		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पल्हनी
3		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महाराजगंज
4		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिगनी
5		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बढया
6		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परशुरामपुर
7	देवरिया	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरी बाजार
8	आगरा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैंया

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 एवं उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट-मैनुअल शासनादेश संख्या-5/2016/253/18-2-2016-3 (एस0पी0)/2010, दिनांक 01.04.2016 में क्रय नियमों/प्रक्रिया के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था एवं जेम पोर्टल पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं/निगमों के द्वारा जेम से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 शासनादेश संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल0उ0)/12, दिनांक 19.03.2020, शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/201टी0सी0, दिनांक 25.08.2020, शासनादेश संख्या-17/2021/233/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक 31.05.2021, शासनादेश संख्या-42/2021/491/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक 26.10.2021, शासनादेश संख्या-23/2022/1[illegible]5/18-2-2022-97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक 29.06.2022 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ-साथ क्रय सम्बन्धी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
3. चिकित्सा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2020/470/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 12.03.2020 में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रूपया 2.00 लाख प्रति उपकरण से कम के उपकरणों (साज-सज्जा एवं फर्नीचर को छोड़कर) का क्रय परिधिगत अधिकारियों द्वारा तथा रूपया 2.00 लाख से अधिक के उपकरणों का क्रय उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 द्वारा अनिवार्यतः जेम पोर्टल से किया जायेगा।
4. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय टर्नकी आधार पर जेम बिड द्वारा ही सम्बन्धित जनपद/चिकित्सालय के परिधिगत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जेम पोर्टल से क्रय अनिवार्यता हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 के अन्तर्गत आवश्यकता को टुकडे-टुकडे में क्रय किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना गया है एवं जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की निर्धारित गाइड लाइन्स/रूल्स, सी0वी0सी0 एवं प्रोक्योरमेन्ट आफ गुडस, 2022 के गाइड लाइन्स में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्धों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन प्रत्येक दशा में प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित क्रय अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि को सम्बन्धित जनपद/चिकित्सालय के परिधिगत अधिकारियों को यथावश्यकतानुसार/नियमानुसार हस्तान्तारित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. उपकरणों की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।

7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये है। यदि मानक से इतर उपकरण/मशीन प्रस्तावित क्रय किये जाते है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्वं क्रयाधिकारी का होगा।

8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों को शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25.11.2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको निस्तारित किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरण अपना औसत कालावधि पूर्ण कर चुके है। निष्प्रयोज्यन उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।

10. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।

11. उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।

12. विभाग द्वारा उपकरणों की आवश्यकता तथा मानक स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय किये जा रहे उपकरण प्रश्नगत चिकित्सालय के लिये आवश्यक एवं मानकानुसार है।

13. उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

14. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

15. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों/कार्यों की पुनरावृत्ति न हो।

16. उपकरणों की मद चूंकि मितव्ययिता की मद है, अतः इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रयाधिकारी का होगा।

18. प्रश्नगत उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

20. इस सम्बन्ध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज से करके इसकी सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

21. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।

22. उपरोक्त सन्दर्भित समस्त बिन्दुओं से इतर अन्य किसी राजकीय विभाग के शासनादेश जो क्रय नियमों से सम्बन्धित नहीं है, को निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में औचित्यपूर्ण पाये जाने की स्थिति में शासकीय अनुमति के उपरान्त ही अपनाई गई प्रकिया नियमानुसार मान्य होगी।

23. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिन्दु 1 से 22 में अंकित नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन ही प्रश्नगत राशि का व्यय किया जाये। उपकरणों की गुणवत्ता मानक के विपरीत अथवा किसी अन्य अनियमितता के पाये जाने पर क्रय प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,70,98,992 (रुपये चार करोड़ सत्तर लाख अट्ठानबे हजार नौ सौ बानबे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 032 **लेखा शीर्षक** 4210021041000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय **मानक मद-**26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

चन्द्र शेखर मिश्र

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

चन्द्र शेखर मिश्र

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।